THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The question is:

"That the Bill further to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2—(Insertion of new section 5B)

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, I move:

"That at page 1, *after* line 12, the following be *inserted*, namely:—

"5C. The qualifications of persons to be appointed as asessors shall be such as may be prescribed.' "

The question was put and the motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meetings held today, the 1st December, 1988, allotted time for Government Legislative Business as follows:—

Business	*Time Allotted*
1. Consideration and passing of the National Highways Authority of India Bill, 1988, as passed by Lok Sabha.	2 hrs.
2. Consideration and return of the Appropriation (No. 5) Bill, 1988, as passed by Lok Sabha.	2 hrs.

The Committee also recommended that the House may sit during lunch hour and also sit upto 7.00 p.m. daily and beyond 7.00 p.m. as and when necessary, from Monday, the 5th December, 1988, for the transaction of Government Legislative and other Business.

DISCUSSION ON THE THIRTY-FIFTH, THIRTY-SIXTH AND THIRTY-SEVENTH REPORTS OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): I beg to move:

"That the thirty-fifth, the thirty-sixth and the thirty-seventh Reports of the Union Public Service Commission for the periods from 1st April, 1984 to 31st March, 1985, from 1st April, 1985 to 31st March, 1986 and from 1st April 1986 to 31st March, 1987, laid on the Table of the Rajya Sabha on the 27th February, 1986, 28th August, 1987 and 5th September, 1988, respectively, be taken into consideration."

The UPSC is required under article 323(1) of the Constitution to present annually to the President a report on the work done by the Commission. These Reports are placed by the Government on the Table along with Memoranda explaining the reasons in respect of cases where the advice of the Commission was not accepted by the Government. It is customary to take up for discussion the report of the Commission in the Houses to elicit the esteemed views of the hon. Members on the overall policies on recruitment and management of public services.

[Shri P. Chidambaram]

As the hon. Members are aware, the UPSC performs a key role in recruitment to higher services and posts and renders independent advice to the Government on several matters concerning public services and personnel administration. The Commission rendered advice to the Government in 18,579 caess in 1984-85, 18,543 cases in 1985-86 and 17,533 cases in 1986-87. The magnitude and importance of the work turned out by the Commission will be apparent from the fact that during the year 1986-87, the Commission conducted 16 examinations recommending 5.237 candidates for appointment to Group 'A' and Group 'B' posts, recommended 1,294 other candidates through selection by interview, 5,178 candidates by promotion and 470 candidates for appointment on transfer and deputation. The Commission rendered their advice in 1,543 cases relating to recruitment rules and 413 cases relating to disciplinary cases.

The Government holds the Commission in high esteem and has been giving utmost consideration to the advice of the Commission in personnel matters. However, it has not been possible for the Government to agree with the Commission in all cases. As required under article 323(1) of the Constitution, we have placed on the Table of the House a Memorandum explaining reasons for disagreement with the Commission in the cases of disagreement mentioned in each report. The number of cases of such disagreement has been only one in 1984-85, 15 in 1985-86 and 30 in 1986-87. I may assure the hon. Members that the anxiety of the Government has always been to keep down the number of cases of disagreement to the absolute minimum. However, during the past two years, the Government was constrained to disagree with the Commission in a few cases, the details of which have been given in the Memoranda placed on the Table of the House. Out of the 46 cases of disagreement mentioned by the Commission in the three reports under consideration, 19 cases related to appointment on promotion, 13 cases related to appointment on transfer on deputation, 3 cases related to exemption of posts from the UPSC, 5 related to disciplinary cases and in the remaining 6 cases disagreement was on technical or procedural grounds. In the cases relating to promotion and deputation, the Government was constrained to disagree with the Commission mainly because the Government desired to apply stricter criteria and standards for selection for appointment to senior level posts. Government's views in this matter have been conveyed to the Commission and I am glad to report, Sir, that the Commission itself has now begun to apply standards which are stricter and more rigorous in appointment to higher level posts.

As regards exemption of posts from the UPSC, article 320 of the Constitution duly empowers the President to exempt specific posts from the Commission's purview by regulations made in this behalf. These regulations were made in 1958 and thereafter have been amended from time to time by making additions or deletions as and when necessary. The three cases referred to in the three reports under consideration are: (1) Recruitment to scientific posts in the Defence Research and Development Organisation exempted in 1985. (2) Group 'A' and 'B' posts in the Central Administrative Tribunal exempted in 1986. (3) 741 scientific posts in four scientific departments. In all these cases, exemptions were given in the interest of expeditious recruitment and to provide flexibility to the concerned departments in personnel policies and cadre management. As regards recruitment to scientific posts, the Government had taken a decision in May 1986 to exempt scientific posts in all scientific departments from the purview of the UPSC, following the example of such exemptions already given to the Department of Atomic Energy, Department of Space and the Department of Electronics. However, before issuing an amendment to the UPSC (Exemption from Consultation) Regulations, the Government took a hard look at each category of posts in the scientific departments. I held detailed discussions with the Chairman and members of the UPSC. After several rounds of discussions and after presiding the scientific departments to cut down their request for exemption to the barest minimum number of posts, Government decided to exempt only 741 posss belonging to

four Scientific Departments from the Commission's purview. In respect of other scientific ports, I am glad to report that the Commission has agreed with our suggestion that they would set up a special call in the UPSC to look after recruitment to these scientific posts to ensure expeditious recruitment. This cell has already started functioning in the UPSC.

As in the case of exemption of scientific posts, in every case of disagreement reported by the Commission, the decision to disagree was taken by the Government after careful consideration of all aspects, purely motivated by public interest. For example, in a small number of cases where we feel that stricter punishment should be imposed on those who have been found guilty, and where we are not able to agree with the punishment recommended by the Commission, we have been constrained to disagree. Hon. Members will kindly note that the number of cases of disagreement forms a very negligible will kindly note that the number of cases which are around 18,000 annually, in which the Commission renders advice to the Government.

Hon. Members will be happy to note that the Commission was able to recommend candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes against all vacancies reserved for them in the Civil Services examination, the Indian Forest Service examination and the Indian Economic Service examination. Only in respect of examinations requiring technical or professional qualifications, the Commission has not been able to fulfil the reservation quota. This has not been for lack of effort on the part of the Commission. The Commission has been making every possible effort to give wide publicity to its various examinations through advertisements in the press and the radio to attract applications from candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Ministry of Welfare in collaboration with the State Governments and universities run 96 training centres for preparing the SC and ST candidates for various competitive examinations conducted by the UPSC.

I take this opportunity to assure the Members that the various suggestions that have been made in the past while considering the earlier reports of the Commission have been given earnest consideration and I am sure the discussion on the reports now under cosideration will be equally fruitful in developing new ideas for improving recruitment methods and personnel administration in Government.

Sir, I have found my discussions and talks with the members of the UPSC always very beneficial to Government. In fact, in the last three years Government and the members of the UPSC have met on more than one occasion both in my office as well as in the office of the chairman. We have had very useful exchanges and I am very happy to say here that our relationship with the Commission is very cordial. As a result of these interactions and exchanges we have been able to improve system of recruitment which are followed in the UPSC.

I need hardly add that the Government as well as the Commission would welcome the suggestions of this House for further improving the procedure of recruitment to the Civil Services.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज संघ लोक सेवा आयोग की 35वीं, 36वीं और 37वी वार्षिक रिपोर्ट के ऊपर इस सदन में विचार होगा ।

मान्यवर, इससे पहले 33वीं और 34वीं वार्षिक रिपोर्ट पर 8 अगस्त, 1985 को यानी आज से साढ़े तीन वर्ष पूर्व इसी सदन में विचार हुआ था ।

तो कमीशन की रिपोर्ट को यह सरकार कितना महत्व देती है, यह इसी से जाहिर है और मैं कमीशन की जो वार्षिक रिपोर्ट है, उसको पढ़ूंगा कि किस तरीके से कमीशन और कमीशन के मेम्बर्ज को आज बड़ा कष्ट है । उसकी चर्चा भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में की है ।

मान्यवर, आयोग और सरकार में काफी सहयोग होना चाहिए और इसकी अभी माननीय मंत्री जी ने चर्चा भी की है ।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

लेकिन जो कमीशन की रिपोर्ट है जिस पर हम विचार करने जा रहे हैं वह इसके बिल्कुल खिलाफ है । मान्यवर, कमीशन की इस वक्त जो पूरी स्ट्रन्थ है वह 11 की है चेयरमैन को ले करके, 10 मैम्बर और 1 चेयरमैन कुल 11 है । लेकिन कमीशन स्थिति आज की तारीख में क्या है ?

एक माननीय सदस्य : 10 होंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: नहीं 11 है ।

I have got a letter from the Secretary of the Commission, Mr. Handa. This letter is dated November 24, 1988:

> "The list, as desired, is enclosed. It is also confirmed that the sanctioned strength of the Commission, including the Chairman, today is eleven".

तो 11 में से आज की तारीख में चेयरमैन को ले करके केवल 7 सदस्य वहां पर काम कर रहे हैं और 4 जगह वहां पर खाली हैं । एक थे मि० ए० एम० अब्दुल हमीद, चूंकि सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तो श्री ए० एम० अब्दुल हमीद कमीशन के सदस्य के रूप में काम करने के बाद 25 मार्च, 1986 को सेवानिवृत्त हुए । ढाई साल हो गए लेकिन कोई नियुक्ति नहीं हुई । दूसरे एक सदस्य थे श्री जसवंत राय बंसल, 16 मई, 1986 को वह सेवा-निवृत्त हो गए । सवा दो साल उसको भी हो गए । तीसरे थे एअर मार्शल श्री ए० के० एस० बख्शी, 14 नवम्बर, 1986 को यानी आज से करीब-करीब दो साल एक महीना पूर्व वह सेवा निवृत्त हो गए । चौथे के बारे मे हम बहुत निश्चित नही हैं और आम हमको करेक्ट कर दीजिएगा एक थे डा० के वेंकटरमैय्या, जिसकी नियुक्ति हुई थी दिसम्बर, 1981 में और दिसम्बर, 1987 में वह रिटायर हो गए । इसको भी एक साल हो गया । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कमीशन के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है और उनकी संख्या 11 हो गई है और कमीशन के पास दिन-प्रति-दिन काम बढ़ते जा रहे हैं तो क्यों ढाई-ढाई और तीन-तीन वर्षों से वह स्थान रिक्त पड़े हुए है और उन पर नियुक्ति नही हो रही है और इस 37 वी रिपोर्ट में बड़े दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ कमीशन के चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट में जिस पर हम बहस करने जा रहे हैं इसकी चर्चा की है ।

I would like to quote:

> "The non-filling of these vacancies for several months despite many reminders to the Government by the Commission had placed heavy pressure and strain on the Commission".

मैं यह जाना चाहूंगा कि करीब-करीब 70–80 करोड के मुल्क जहां एक से एक पढ़े-लिखे लोग है, एक से एक विद्वान है, क्या तीन या चार व्यक्तियों को आप ढूंढ नही पा रहे है ? लेकिन उसका कारण क्या है ? हर काम को यह सरकार छोटे और तुच्छ राजनीतिक दृष्टि से देखती है, ऐसा आदमी कमीशन में मैंबर हो जाए, ऐसा आदमी चेयरमैन हो जाए जो सरकार के और एग्जीक्यूटिव के दबाव में काम करे । मेरा यह कहना है, लगता यही है और शायद यही कारण है कि लगभग साढ़े तीन वर्षों से यह स्थान खाली पड़े हुए हैं । दूसरे, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कमीशन में जो नियम बने हैं, जो कानून हैं और जो रेगुलेशन्ज हैं उसमें कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो लोक सेवा आयोग की परिधि मे, कार्य-क्षेत्र में रखी गई हैं । अभी संविधान की धारा मंत्री जी पढ़ रहे थे कि अगर राष्ट्रपति जी चाहे तो उन सेवाओं को कमीशन की परिधि से बाहर निकाला जा सकता है । मान लिया, लेकिन सारा प्रश्न यह है कि क्यों आयोग के क्षेत्र से वह सेवाएं निकाली गई हैं ? कमीशन की अपनी रिपोर्ट में चर्चा की गई है एडहाक एप्वायंटमेंटस करके, तदर्थ नियुक्ति करके तीन-तीन, चार-चार साल से तदर्थ नियुक्ति हो गई है, दस साल हो गए हैं तदर्थ नियुक्ति को हुए और कमीशन के पास उसके अधिकार क्षेत्र से उनको बाहर लिया जा रहा है । मान्यवर, मैं तीनों रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहता हूं,

क्योंकि हर साल कमीशन इन बातों को दोहराता है, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें इस बात की चर्चा कमीशन ने की है :

Exemption from consultation with the Commission. This is in Chapter I.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Which report is this?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: This is the Thirty-seventh Report for the year 1986-87, that is, the latest report. They have been repeating their version in all the reports. This is in Chapter I, paragraph 1.4, about exemption from consultation with the Commission:

> "During the year, the Ministry of Science & Technology issued an office memorandum dated May 29, 1986, indicating that the President had taken a decision that scientific posts will be exempt from the purview of the Commission. The Commission was neither consulted about nor informed of this decision. In fact they came to know about the same from Press reports which appeared on June 19, 1986."

The Commission itself says in the Annual Report that they were never informed, that they were never consulted, there was never any prior consultation, that they came to know about this report only through the Press just as Mr. Morarji Desai who once, as Finance Minister and Deputy Prime Minister, came to know about the change in his portfolio through a television set in his room. That is the style of functioning of this Government. It further says, in paragraph 1.4:

> "The formal proposal seeking the concurrence of the Commission for the proposed exemption was received from the Department of Personnel on June 20, 1986 in which it was stated that the Government proposed to exempt from the Commission's purview scientific posts in certain Ministries/Departments in order to facilitate creation of 'better executive support system' than hitherto available to these departments. In several communications addressed to Government the Commission pointed out that the omnibus nature of the exemptions proposed would have the effect of seriously eroding the constitutional role assigned to them, apart from raising several legal and other issues relating to fair and objective selection by an independent agency. The Commission, therefore, did not agree to the proposed exemption of scientific posts in the different Ministries/Departments of Government of India."

Sir, their number, as rightly pointed out by the Minister, was 741.

SHRI P. CHIDAMBARAM: You should read paragraph 1.4.1 also.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, it is stated in paragraph 1.4.1:

> "The Commission regret and express serious concern regarding the decision of the Government to exempt these scientific posts from their purview against their advice. In their view, such exemptions considerably erode the role assigned to the Commission in the Constitution. Further, entrusting recruitment and selection to the departments themselves, who do not enjoy the independent status guaranteed in the Constitution to the Commission, is likely to impair public confidence with regard to fair and objective selection."

यह कमीशन की रिपोर्ट है, जिसके बारे में अभी मंत्री महोदय चर्चा कर रहे थे कि कमीशन के सदस्यों से हमारी बातचीत होती है, मैं भी कमीशन के दफ्तर में जाता हूं, कमीशन के चेयरमैन भी हमारे दफ्तर आते हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होती है। बातचीत कुछ हुआ करे, लेकिन जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उससे साफ जाहिर है कि जो कमीशन के अधिकार हैं, उनमें कमी की जा रही है और कमीशन के अधिकार क्षेत्र में जो सेवाएं थीं, उसमें कमी की जा रही हैं। कमीशन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उनकी एक स्वतंत्र हैसियत है, एक स्वतंत्र स्थिति है। तो स्वतंत्र स्थिति के रहने से ज्यादा लोगों को

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

न्याय मिल सकेगा । इसीलिए कमीशन ने आगे जाकर कहा हैकि जो एडहोक एपायंटमेंट है गलत किए जा रहे हैं और एडहोक एपायंटमेंट को बंद करना चाहिए ।

इसके बाद मान्यवर, कमीशन ने इस बात की भी चर्चा की है पेज 3 और पेज 18 पर, कि जो भरती के नियम होते है, रूल्स होते हैं, जिनको रिक्रूटमेंट रूल्स कहते हैं, वह बनाने के लिए आयोग के पास भेजे जाते हैं सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री की ओर से, विभाग की ओर से कि कमीशन उस सिलसिले में अपनी राय दें और रूल्स बनाकर के भेजे । जो रूल्स कमीशन बना देता है, उसे लागू किया जाता है । लेकिन मान्यवर, कमीशन यह कह-रहा है कि जो रूल्स हम बनाकर देते हैं, वह वर्षों-वर्षों तक सरकार के ज्वायंट सेक्रेटरी की टेबल पर धूल खाते पड़े रहते हैं और उसको कार्यान्वित नहीं किया जाता । मान्यवर, इसकी चर्चा की गई है पेज 3 और पेज 18 पर..

In paragraph 14 on page 18 it says:

"*Delay in notifying Recruitment Rules*

"4.11 The Commission observe with serious concern that there is considerable delay...."

Not delay but considerable delay.

"in the matter of notification of the Ministries/Departments of Recruitment Rules for various posts and Services drawn up in consultation with them.....

The Commission seriously view the magnitude of the delay in notification that still occurs."

Now they are putting the record straight:

"Out of 323 cases pending notification, Recruitment Rules have not been framed in 63 cases in spite of the time lag of over one year, in 46 cases after two years, in 19 cases after three years, in 33 cases after four years and 96 cases even after five years after their approval by the Commission. The Commission would like to emphasize that such unwarranted delay in notification of Recruitment Rules very...."

Earlier the Commission spoke about the considerable delay. Now the Commission says:

".....that such unwarranted delay in notification of Recruitment Rules very seriously affects the recruitment process for civil posts."

अब मान्यवर, एडहाक एपाइंटमेंट के सिलसिले में कमीशन का यह कहना है कि सरकार की यह चाल है कि वह तदर्थ नियुक्ति कर देती है । जो लोग पालिटिकल पावर में हैं या जिनके पास एक्जीक्यूटिव अथारिटी है वे बिना आवेदनपत्र लिए या आवेदनपत्र लेकर एडहाक एपाइंटमेंट कर देते हैं और साल-साल भर उसको बढ़ाते जाते हैं । चूंकि एक आदमी काम कर रहा है इसलिए वह काम करता जाएगा । दस साल बीत जाएंगे, एडहाक एपाइंटमेंट चलते रहेंगे लेकिन कमीशन के परव्यू के अंतर्गत वह पद होते हुए भी कमीशन के पास विज्ञापन के लिए वह कागज नहीं जाएगा । कमीशन को मौका नहीं दिया जाएगा कि उस पद पर नियुक्ति की जाए । इस सिलसिले में फिर कमीशन ने अपने इस रिपोर्ट के पृष्ठ-18 पर चर्चा की है । उन्होंने आखिर में यह कहा है--

"The Commission hope that the Ministries and Departments would take kreater care in the matter so that Commission's limited resources are not wasted on infructuous work and, more importantly, the posts under government do not remain vacant beyond the minimum unavoidable period of time."

मान्यवर, इसकी चर्चा कमीशन ने इसलिए की है कि उन्होंने इस बात पर बार-बार जोर दिया है कि एडहाक एपाइंटमेंट की प्रणाली को खत्म किया जाए । उन्होंने इस बात पर हर रिपोर्ट में जोर दिया है ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीहेच० हनुमनतप्पा) : दो मिनिट में खत्म कीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, अब उसके बाद कमीशन का यह भी कहना है,

उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, समय बचाने के लिए । पृष्ठ 4 और 25 पर कि कमीशन सलेक्शन करता है, कमीशन नियुक्ति करता है और सरकार के पास नियुक्ति की लिस्ट चली जाती है परन्तु कमीशन ने उदाहरण दिया है कि कमीशन द्वारा एप्रूव्ड व्यक्तियों को छः-छः, सात-सात साल बीत जाने के बाद भी एपाइंटमेंट की चिटठी नहीं मिल रही है । क्यों नहीं मिल रही है ? उसका क्या कारण है ? चार या छः महीने की देरी हो जाती हैं तब तो बात समझ में आती है, लेकिन सात-आठ साल बीत जाने के बाद भी कमीशन द्वारा स्वीकार नियुक्तियां सरकार नहीं कर रही है । इसका क्या कारण है, मंत्री जी इसको बताने की कृपा करें ।

दूसरे नान एक्सप्टेंस आफ कमीशन्स एडवाइस के सिलसिले में कमीशन ने कहा है 85–86 में 15 (वह तो मंत्री जी गिना चुके हैं), 86–87 में 30 केस, 85 से 87 तक दो साल में 45 केस ऐसे हैं जिनके मामले में कमीशन की सलाह को सरकार ने अस्वीकार कर दिया । लेकिन कमीशन ने उदाहरण दिया है कि 1950–51 से लेकर 1985 तक केवल 57 ऐसे मामले थे । अब मंत्री जी बताएं कि क्या वजह है ? उन्होंने बताने का प्रयास भी किया है लेकिन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अपनी व्यथा व्यक्त की है कि हमारी जो 45 रिपोर्ट हैं उसे सरकार ने अस्वीकार किया है । इसका मान्यवर, मैं उद्धरण करना चाहूंगा, वह इस रिपोर्ट के पृष्ठ 27 पर है :

"What is more disturbing is the fact that in as many as 14 of the 30 cases no reason was given by the Central Government for non-acceptance of the Commission's advice. This trend is more pronounced in the case of promotion of officers, where out of 15 cases of non-acceptance of Commission's advice, no reasons were given in eleven cases."

This is the observation of the Commission.

"The Commission observed that these orders which are in the nature of supplementary instructions to statutory rules on the subject have not been followed by the Central Government in a large number of cases. They would like to stress the need for the Central Government to give reasons for non-acceptance of Commission's recommendations so that, if found necessary, improvements in the existing procedure and policies could be considered by the Central Government in consultation with the Commission."

अब इसके बाद मान्यवर, कमीशन में घोटाला भी हो रहा है । जो लड़के वहां इम्तिहान दे देते हैं उनकी कापियां, मान्यवर, गायब हो रही हैं पोस्टल में । इसका जवाब है एक तो, मान्यवर, अनस्टारर्ड क्वेश्चन 299, 24 अप्रैल, 1986 । सवाल यह था कि करीब-करीब 100 लड़कियों की सिविल सर्विसेज इग्जामिनेशन, 1985 की कापियां गायब हो गई है । उसमें बड़े-बड़े एलीगेशन लगे हैं, कुछ लोग उसमें सस्पेंड भी हुए हैं लेकिन जवाब क्या था सरकार का कि :

"The Union Public Service Commission has decided to hold re-examination for 94 candidates in general studies, part 2 of the main examination of the Civil Services examination, 1985, as their answer books were lost in transit."

और दूसरा केस है, मान्यवर,

This relates to those candidates who appeared in Civil Services examination for the year 1985. The reply was:

"Yes, Sir.

Inquiries from the Union Public Service Commission revealed that the answer book...

संघ लोक सेवा आयोग से की गई पूछताछ से पता चला कि इस मामले में भी कापियां डाकखाने से गायब हो गई । इस सिलसिले में मैंने इसलिए ध्यान आकर्षित किया कि इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनमें जो लोग बैठते हैं, कापी अच्छी हुई तो गायब हो गई और दोबारा उनको बैठना पड़ा । तो उन प्रतियोगियों को शक है कि हो सकता है कि हमारे साथ ज्यादती की गई हो ।

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय)

अब दो बात कहकर के, मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह जो राजभाषा है इसके सिलसिले में, मान्यवर, विवाद चल रहा है । 4 दिन पूर्व इसी सदन में स्पेशल मैंशन के माध्यम से श्रीमती वीणा वर्मा ने इस प्रश्न को उठाया था और राम चन्द्र विकल जी बैठे हैं उन्होंने इसका समर्थन किया, वीरेन्द्र वर्मा जी ने समर्थन किया था, मुरली भंडारे जी ने समर्थन किया था । प्रश्न क्या था ? अखिल भारतीय भाषा रक्षक संगठन के कार्यकर्ता संघ लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर 16 अगस्त को सत्याग्रह कर रहे थे । वह आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य इस्तेमाल को समाप्त करने का आग्रह कर रहे थे । आयोग प्रतिवर्ष 11 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है, इनमें सिविल परीक्षा को छोड़कर अंग्रेजी अनिवार्य रूप से परीक्षा का माध्यम है । यह खेदजनक हैं कि भारतीय भाषाओं को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में माध्यम नहीं बनाया गया है ।

देश में 98 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं । अंग्रेजी जानने वालों के साथ 98 प्रतिशत भारतीय भाषा जानने वाले लोग इस देश में बसते है । उनकी मांग है मान्यवर कि सभी भारतीय भाषाओं को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम बनाना चाहिए । अब बड़ी मांग की गई तो अभी, मान्यवर, 22 नवम्बर को मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जो भारतीय भाषाओं में छपने लगे हैं ।

This relates to unstarred Question No. 1582 of this House of 22nd November, 1987. The reply of the Minister was:

"The Commissions are already allowing use of Hindi either as medium for answering papers or printing question papers in some of their examinations, such as Civil Services examinations, Stenographers examinations, Assistant Grade examinations, Section Officers Grade, Grnde B and Grade I limited departmental competitive examinations held by the Commission in December 1987. Question papers of some of the papers were printed both in Hindi and English."

मेरा निवेदन है कि आज जो देश की भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है । तमिल आए, तेलुगु आए, कन्नड़ आए, लेकिन अंग्रेजी को इस देश से जाना चाहिए । अंग्रेजी चलानी है तो यह कहकर कि भारतीय भाषाओं में आप पर्चे छाप रहे हैं, आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते । तो मेरा निवेदन है कि कमीशन इस बात को देखे ।

महोदय, कमीशन इस बात को बराबर कहता है कि शैड्यूल्ड कास्ट के लोग नहीं मिलते । इंजीनयरिंग में, मडिकल में कंडीडेट नही मिलते, तो लेकिन इसका कारण क्या है ? कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कमीशन ने पूरा प्रयास किया है, लेकिन प्रश्न यह है कमीशन ने खुद यह कहा है कि इन पदों के लिए जितने आरक्षित पद थे उनके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं मिलते काम करने के लिए । इसका मतलब यह है कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए, जब उनको सुविधा मिलेगी तभी तो वे आगे आ सकगे । आज उनके स्थान पर आप ऐडहाक ऐपाइंटमेंट करते है, इसलिए इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए । मैं तो कहता हूं कि किसान की जो सन्तान हैं उनके लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण सेवाओं में करना चाहिए । इससे जाति प्रथा भी समाप्त हो जाएगी, अगर उनको आरक्षण मिलेगा तो वे आगे आयेंगे ।

श्रीमन, अभी जनवरी में हम पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की जन्मशती मनाने जा रहे हैं । पंत जी ने किसानों के बारे में क्या कहा था, यह भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं । पंत जी ने 29 जनवरी, 1947 को लखनऊ में विभागीय कार्यालयों की "डैवलपमेंट कांफ्रेंस" का उद्घाटन करते हुए इस बात पर बल दिया था कि मनुष्य के कार्यों में मनोवैज्ञानिक तत्व महत्वपूर्ण स्थान रखते

हैं । हमारे राष्ट्र का निर्माण करने वाले विभागों की असफलता पर बोलते हुए उन्होंने कहा था--

"हमारे विभाग प्रायः सीलबंद है । प्रत्येक विभाग बनावटी वातावरण में काम कर रहा है । गरीब और गंवार कहलाने वाला किसान परस्पर विरोधाभासों से भरी अपीलों पर किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहा है । मशीनवत ये अपीलें अनेक लोगों द्वारा प्रसारित की गई हैं । इनमें से एक व्यक्ति भी उसके जीवन में हाथ बंटाने वाला तथा वास्तव में उसकी सेवा की भावना से अनुप्रेरित दिखाई नहीं पड़ता, आपको उसे विश्वास दिलाना होगा कि आप तथा मैं यथार्थ में उसके शुभचिंतक हैं और उसकी सेवा करने का विचार रखते हैं । जब तक आप यह काम नहीं कर लेते, तब तक हमारी समस्त अपीलें व्यर्थ जाएंगी, इनके पक्ष में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, मुझे इस कथन के लिए क्षमा करेंगे कि अपने इन कॉलर, पैंट तथा हैट के साथ, आप सहज तथा स्वाभाविक अपील नहीं कर सकते ।

मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि हमारे आफिसरों को गांवों की ओर जाना चाहिए और डाकबंगलों में ठहरने की बजाय किसानों के परिवारों के साथ रूकना चाहिए, इससे उनको एक सीमा तक तकलीफें तथा असुविधायें होंगी, किन्तु इससे उनका काम आसान होगा । यह एक बहुत मामूली ओछी और छोटी बात है किन्तु हम लोग यह जानने की कोशिश नहीं करते कि ये मामूली बातें एक व्यक्ति तथा समुदाय को अपनी हल न होने वाली समस्याओं के समाधान की दिशा में कितना प्रभावित करती है । आप एक स्विच दबाते हैं और देखते हैं कि मीलों तक रोशनी फैल जाती है, यहां भी यही बात है । यदि आप इस स्विच को ठीक तरह से प्रयोग कर लें, तो आप देखेंगे कि प्रकाश चारों ओर फल रहा है और आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आप कितनी आसानी के साथ उसकी बुद्धि तथा कल्पना को प्रभावित करने में समर्थ हो रहे हैं ।"

माननीय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन का अपना अधिकारक्षेत्र है, सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है । अतः कमीशन की जो संस्तुतियां हैं उनको सरकार को मानना चाहिए और कमीशन में जो पद तीन चार सालों से पड़ हुए है उन पर कमीशन को इन लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं इति ।

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कई रिपोर्टों पर एक साथ चर्चा हो रही है बेहतर तो यही होता कि इन रिपोर्टों पर साल के साल विचार होता चूंकि कमीशन का काम साल के साल चलता रहता है । बकायदा उम्मीदवारों को चुन करके यह कमीशन हमारी सरकार के पास भेजता है । यह जो रिपोर्ट है देरी के साथ आती है और उन पर विचार होता है बहुत सारी कमियों पर बहुत सारे सुझाव देने का मौका आता है और वह समय के साथ निकल चले जाते है । मैं तफसील में नही जाना चाहता । कमीशन आजकल जो इम्तहान ले रहा है अगर आप देखें तो कमिशन के द्वारा, यू०पी०एस०सी० के द्वारा जिन उम्मीदवारों का चयन किया जारहा है उन उम्मीदवारों को जो आज का असली भारत है, गांव का जो जीवन है, प्लानिंग का काम है, योजना का काम है, देहात में खेती का काम है उनके जीवन से कोई ताल्लुक रहता नहीं है । सर्विस में जिनका सलेक्शन होता है उनका गांव की प्रेक्टीकल जिन्दगी से कोई वास्ता नही होता । आप देखते है कि जो आई०ए०एस० में आते हैं, आई०पी०एस० में आते है बहुतायत उन घरानों के लड़के होते हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, जिनकी तालीम बड़े शहरों में, अंग्रेजी स्कूलों में हुई है जिनका हिन्दुस्तान की जिन्दगी से कोई वास्ता नहीं होता । वह नहीं जानते कि गांव की समस्या क्या है, उसको कैसे टैकल करना पड़ता है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज एडमिनिस्ट्रेटिव

[श्री हरि सिंह]

आफिसर्स का अगर स्टफ देखें तो वह बड़ा पुअर है क्योंकि थ्योरिटिकल आसपेक्ट तो अच्छा होता है लेकिन जो प्रोब्लम की फिटिंग करने की बात होती है वह उन्हें नहीं आती । आज उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप भी कमजोर होता जा रहा है। आज हमारे अधिकारीगण का देहातों के लिए कोई स्थान नहीं होता । यह बड़े लोगों की मानोपली हो गयी है। एक ही फैमिली में 10–10 आई०ए०एस०, आई०पी०एस० आफिसर आ जाते हैं जैसे इंडस्ट्रियल मानोपली है, एकोनोमिक मानोपली है । मैं जानता हूं देश की सिर्फ 25 फैमिलीज हैं जो इस देश में हुकूमत चला रही है। आई०पी०एस०, आई०एस०एस० जो टाप की सर्विसेज हैं उनमें काम कर रही है । इसको हमें तोड़ना है । सब कम्युनिटी, सब भाषाओं के लोग इसमें आने चाहिए आप जानते है जो वास्तविक जीवन है उनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जनता के मन में इनकी आस्था खत्म होती जा रही है। जब इन्टरव्यू होता है तो कोई जांच पड़ताल नहीं होती । हमारा कहना यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर हो उसके पास कोई बैठ जाये तो उसका मन श्रद्धा से झुक जाये। उसको अदब आना चाहिए ।

कमीशन को चाहिए कि जब सेलेक्शन करे तो वह सिर्फ थयोरिटिकल आसपेक्ट न देखें । अच्छी अंग्रेजी अगर उसको आती हैं, ड्राइंग रूम आदि के बारे में अच्छा ज्ञान है तो उसका सेलेक्शन हो जाता है और वे एडमिनिस्ट्रेशन में आकर फेल हो जाते हैं । सेलेक्शन करते समय हमारे कमीशन को सिर्फ उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, लम्बाई, मोटाई नहीं देखनी चाहिए । आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक एज है आज अकल से काम करना पड़ता है । अगर कोई डरपोक होगा तो समस्याओं से जूझ नहीं सकेगा । मैं कहना चाहता हूं अंग्रेजों के वक्त में शासन को चलाने के लिए एक ही एलीमेंट होता था टैरर । पकड़ कर पेड़ से बांध दिया, सजा दे दी लेकिन आज के एडमिनिस्ट्रेटर के सामने हड़ताल भी है, पब्लिक मीटिंग भी है, प्रोसैशन है, जुलूस है, चुनाव कराना है, लेबर प्रोब्लम है, शेड्यूल्ड कास्ट्स प्रोब्लम है हरिजनों पर अत्याचार की प्रोब्लम है जो सब समस्याओं को अच्छी तरह से हल कर सके उनकी सेलेक्शन होनी चाहिए । मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आप हिन्दुस्तान के 100 एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स को ले लें तो उसमें से 80 भी इस लायक नही है जो जिले के हैड बना दिये जायें । पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 10–10, 20–20 साल की सर्विस के बाद बनाये जाते थे लेकिन आज कल कमीशन से निकले और बन गये । यह सरकार की कमजोरी है । मैं यह कहना चाहता हूं, कि चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, जिला हैड हो, सिविल सर्विसेज का हो, पुलिस का हो बगैर 10–15 साल फील्ड वर्क किये इसमें नहीं आने देना चाहिए । आप देखते हैं कि जो पहले सारे देश के अदर इनके प्रति आस्था थी आज वह नहीं है । यह इसलिए है कि आज इनका वास्तविक जीवन से वास्तविक समस्याओं से जूझने का वास्ता नहीं रहा है, उनसे मिलने-जुलने का वास्ता नहीं रहा है । शेड्यूल्ड कास्ट्स लड़को को इसके लिए अनफिट कर देते हैं । हम यह
6.00 P.M. भी देखते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट के एक से एक अच्छे लड़के होते हुए भी उनके लिए रिजर्व जगहें खाली पड़ी रहती हैं और उनमें दूसरे लोगों को रख दिया जाता है । कमीशन की तरफ से यह कह दिया जाता है कि फिट लड़के नहीं मिल रहे है । मैं आपके सामने हर नालेज के, हर क्षेत्र के, बंच के बंच शेड्यूल्ड कास्ट के लड़के पेश कर सकता हूं । यह हमारी ब्यूरोक्रेसी का अन्डरहेन्ड तरीका है, आज के राजतंत्र का एक गलत तरीका है कि यह कह दिया जाता है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लड़के प्राप्त नहीं हैं । यह तरीका दूसरों को बहाल करने के लिए अपनाया जाता है । मैं कहता हूं कि यह एक प्रकार की साजिश है, इसको रोका जाना चाहिए ।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब शेड्यूल्ड कास्ट के लड़के अपनी योग्यता से जनरल केन्डीडेट्स में आ जाते हैं तो आप उनको शेड्यूल्ड कास्ट में क्यों

गिनते हैं ? आज यह भी चर्चा चलती है कि रिजर्वेशन क्यों किया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि जो लड़के इंगलिश स्कूलों में पढ़े होते है, जिनको अच्छा खाना मिला होता है, जिन्होंने एश की होती है, जिन्होंने अंग्रेजी फिल्में देखी होती हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है । किसानों, मजदूरों और शेडयूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेज के लड़के जिनको पूरा खाना भी नहीं मिलता है और जिनके घरों में चिराग भी नहीं जलता है वे उन बड़े घरों के लड़कों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक लड़का जिसकी टांग टूटी हुई है या बंधी हुई है और दूसरा लड़का जिसको ओलम्पिक की ट्रेनिंग मिली है, पटियाला के ट्रेनिंग सेन्टर में जिसने ट्रेनिंग ली है, उसके साथ एक लंगड़ा कैसे दौड़ सकता है? ऐसे लोगों को अनफिट कह दिया जाता है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कमीशन को अपना तरीका ब्रोड बेस्ड बनाना चाहिए । उसमें सभी क्षेत्रों, सभी भाषाओं और सब वर्गों के लोगों को लिया जाना चाहिए । अच्छी परसनेलिटी हिन्दुस्तान की धरती से ही निकलेगी । ड्राइंग रूम के मेनर्स से यह होने वाला नहीं है । अंग्रेजी फिल्में देखने से यह होने वाला नहीं है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे पास पुलिस से लेकर हैल्थ, हाईडल और इंफारमेशन के महकमें रहे हैं । मुझे इस बात का प्रेक्टिकल अनुभव है । इस प्रकार से 10-12 महकमें मेरे पास रहे हैं । अगर हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना है तो हमारा सेलेक्शन भी अच्छा होना चाहिए । पुअर परसनेलिटी का मतलब यह नहीं होता है कि उसको कम नम्बर मिले हैं । दो-चार नम्बर देकर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है । इस सब को बदलने की जरूरत है ।

अंत में एक बात मैं आब्जेक्टिव टाइप पेपर के बारे में कहना चाहता हूं । किसी केन्डीडेट को कोई चीज याद हुई उसका पेपर ठीक हो गया । आज परीक्षा में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है । उनका कोई पब्लिक और मास बेस नहीं है । इसीलिए हम देखते हैं कि पथराव होता है और समस्याएं सुलझ नहीं पाती हैं । एक प्रकार से कई बार एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आब्जेक्टिवटाइप पेपर को बदला जाना चाहिए और जांच कुछ अच्छे तरीके से होनी चाहिए । इम्तिहान का तरीका बदला जाना चाहिए । इन अल्फाज के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now the House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 o'clock.

The House then adjourned at four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 2nd December, 1988.